FINANCIAL EXPRESS, Delhi, 12.5.2025
Page No. 3, Size:(5.29)cms X (10.94)cms.

Aramco profit dips amid uncertainty

REUTERS
Dubai, May 11

SAUDI OIL GIANT Aramco, a longtime cash cow for the kingdom, reported a 4.6% drop in first-quarter profit on Sunday due to lower sales and higher operating costs as economic uncertainty hit crude markets.

The world's top oil exporter reported net profit of 97.54 billion riyals ($26.01 billion) in the three months ended March 31, which beat a company-provided median estimate from 16 analysts of $25.36 billion.

The shares were up 0.64% to 25.00 riyals as of 0754 GMT, though down 10.9% so far this year.

Aramco confirmed total dividends of $21.36 billion for the first quarter, $219 million of which was performance-linked dividends, a mechanism introduced after a windfall from oil prices in 2022 following Russia's invasion of Ukraine.

Saudi Arabia for decades has relied on Aramco's generous payouts, which also include royalties and taxes, to fuel its growth. Oil generated 62% of government revenue last year and the International Monetary Fund has estimated Saudi Arabia needs oil at $92.3 this year to balance its budget.

The results were released before US President Donald Trump's visit to the kingdom on Tuesday. His trade war with China has spooked global markets and sent crude prices tumbling amid fears of a global economic slowdown.

"Global trade dynamics affected energy markets in the first quarter of 2025, with economic uncertainty impacting oil prices," Chief Executive Amin Nasser said in a statement, adding Aramco's results showed the value of its low-cost operations.

"Such periods also highlight the importance of disciplined capital planning and execution while we continue to take a long-term view. In volatile times Aramco's resilience underpins both our financial performance and our sustainable and progressive base dividend."

Trump's imposition of tariffs escalated sharply in early April.

TIMES OF INDIA, Delhi, 12.5.2025
Page No. 15, Size:(4.38)cms X (5.25)cms.

Aramco profit drops as crude prices slump

Saudi Aramco reported a decline in profit in the first quarter as lower crude prices put pressure on the finances of the world's biggest oil exporter. Net income slipped 4.6% to $26 billion in the quarter. Operating profit, which fell 5.3%, beat analyst' estimates. Free cash flow again failed to cover the dividend. BLOOMBERG

FINANCIAL EXPRESS, Delhi, 12.5.2025
Page No. 2, Size:(6.03)cms X (16.80)cms.

Benign crude to boost earnings of OMCs in Q1

ARUNIMA BHARADWAJ
New Delhi, May 11

STATE-OWNED OIL MARKETING companies (OMCs) are expected to post strong earnings in the first quarter of FY26, amid weak crude oil prices and improvement in refining margins, analysts say. Earnings in the period will also get a boost from lower LPG under recoveries due to an increase of ₹50 per cylinder in domestic LPG prices by the government.

"Q1FY26 earnings will likely benefit from lower LPG under-recoveries due to a ₹50 per cylinder domestic LPG price hike recently. The decline in propane prices as winter demand wanes provides an additional upside," said Motilal Oswal. The brokerage added that the share of Russian crude in the OMCs' portfolio is expected to rise again in Q1FY26, boosting gross refining margins. Meanwhile, the marketing segment has continued to show robust performance.

Elara Capital also anticipates that the government will allow OMCs to earn above their historical integrated margins to support energy transition capex amid weak crude oil price environment.

International crude oil prices have dropped to $65 per barrel in Q1FY26 — a $10/bbl decline from Q4FY25 — resulting in a ₹3.5/litre improvement in gross margins for gasoline and diesel, despite the government's ₹2/litre excise duty hike on both fuels in April.

According to Elara Capital, "Every $1/bbl drop in crude oil price improves the oil marketing companies' gross margin for gasoline/diesel by ₹ 0.55/litre." The firm expects crude prices to average $70 per barrel in FY26.

"OMCs would also benefit from nil LPG losses in FY26E at current $65/bbl crude oil price versus ₹25,000 crore cumulative LPG losses at our previous crude oil estimate of $75/bbl," Elara Capital noted.

Given the recent dip in crude prices below $70/bbl, Elara expects BPCL's integrated margin (Ebitda per unit of refining and marketing volume) to surge 49% in FY26 to ₹4,023 per tonne, while IOCL's integrated margin is forecast to jump 91% to ₹4,000 per tonne over FY25 levels.

BRIGHT PROSPECTS

OMCs consolidated net profit (in ₹ crore)

While the ₹2/litre excise duty hike will pressure marketing margins, analysts believe the impact on earnings will be negligible. Current marketing margins remain elevated, averaging above ₹12/litre.

However, Motilal Oswal cautioned that OMCs may face inventory losses in Q1FY26 due to the fall in crude prices, in contrast to inventory gains in Q4FY25. Additionally, further excise duty hikes on petrol and diesel pose a risk to marketing margins. Historically, OMCs have struggled to sustain gross marketing margins above ₹8-10 per litre for more than two quarters.

For oil exploration companies like Oil and Natural Gas Corporation and Oil India, lower oil prices could however, impact their revenue and affect crude price realisations.

"We forecast Brent to average $65/bbl in FY26 and FY27 but believe downside risks remain to both oil and gas realizations (for the upstream sector). Every $1/bbl decline in Brent prices leads to a 2% decline in FY26E/FY27E PAT (profit after tax) for both ONGC and OIL," Motilal Oswal said.

BUSINESS STANDARD, Delhi, 12.5.2025
Page No. 6, Size:(13.63)cms X (9.43)cms.

IN BRIEF

Draft rules tightens govt hold over oil, gas in times of emergency

The government will hold pre-emption rights over all oil and natural gas produced in the country in any event of national emergency, according to draft rules being framed under a revamped oilfields legislation. A pre-emption right is the legal right of a party — often a government or existing shareholder — to purchase or claim a product, asset, or resource before it is offered to others. The producer of oil and natural gas will be paid a "fair market price prevailing at the time of pre-emption", the draft rules said. PTI

ECONOMIC TIMES, Delhi, 12.5.2025
Page No. 7, Size:(11.47)cms X (4.78)cms.

DRAFT RULES UNDER REVAMPED OILFIELDS LEGISLATION

Govt to get Pre-emption Right over Oil, Gas in Emergency

New Delhi: The government will hold pre-emption rights over all oil and natural gas produced in the country in any event of national emergency, according to draft rules being framed under a revamped oilfields legislation.

A pre-emption right (or preemptive right) is the legal right of a party–often a government or existing shareholder–to purchase or claim a product, asset, or resource before it is offered to others. The inclusion of such rights over crude oil is intended to help the government prioritize national interests and ensure public welfare during emergencies. – PTI

PIONEER, Dehradun, 12.5.2025
Page No. 10, Size:(24.90)cms X (16.62)cms.

Government to hold pre-emption right over oil, gas in national emergency: Draft rules

PRESS TRUST OF INDIA ■ New Delhi

The government will hold pre-emption rights over all oil and natural gas produced in the country in any event of national emergency, according to draft rules being framed under a revamped oilfields legislation.

A pre-emption right (or preemptive right) is the legal right of a party — often a government or existing shareholder — to purchase or claim a product, asset, or resource before it is offered to others.

The inclusion of such rights over crude oil — extracted from underground or beneath the seabed and refined into fuels like petrol and diesel - as well as natural gas, which is used for power generation, fertilizer production, CNG for vehicles and piped cooking gas, is intended to help the government prioritise national interests and ensure public welfare during emergencies.

The producer of oil and natural gas will be paid a "fair market price prevailing at the time of pre-emption," the draft rules said. Ministry of Petroleum and Natural Gas has invited comments on draft rules after Parliament earlier this year passed the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill which replaced outdated provisions from the 1948 Act, to boost domestic production, attract investment, and support the country's energy transition goals.

"In the case of a national emergency in respect of petroleum products or mineral oil, Government of India shall, at all times, during such emergency, have the right of preemption of the mineral oils, refined petroleum or petroleum or mineral oil products produced from the crude oil or natural gas extracted from the leased area, or of the crude oil or natural gas where the lessee is permitted to sell, export or dispose of without it being refined within India," the rules stated.

This right will be exercised by providing a "fair market price prevailing at the time of pre-emption to the lessee by Government of India, for the petroleum or petroleum or mineral oil products or the crude oil or natural gas taken in pre-emption." The rules however did not define what would constitute a national emergency. Industry sources said war or war-like situations - like the one that the country faced in the military standoff with Pakistan - or natural disasters could constitute a national emergency.

"Government of India shall be the sole judge as to what constitutes a national emergency in respect of mineral oils, and its decision in this respect shall be final," the rules said.

The draft rules also provide for oil and gas operators being exempt from their obligations under the Act in force majeure conditions. Force majeure includes an act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, tide, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, earthquake, pandemic and any other happening which the lessee could not reasonably prevent or control, the rules added.

Govt tightens rules to check gas emissions in upstream oil sector

AGENCIES
NEW DELHI, 11 MAY

The Centre's new draft policy framed for the upstream oil & gas exploration and production sector aims to minimise the environmental impact of mineral oil operations, including gas flaring activities, and closer monitoring of greenhouse gas emissions and flared gas.

Routine flaring of gas takes place during production from oilfields due to the absence of facilities for gas utilisation, such as reinjection, on-site use, or transportation to market. The draft policy stipulates that all lessees and contractors shall submit reports specifying the volume of gas flared and the associated emissions on a quarterly basis in accordance with the format specified within fifteen days from the end of each calendar quarter.

The rules make it clear that every lessee and contractor will adopt measures to reduce greenhouse gas emissions that take place during the course of mineral oil operations and comply with the applicable environmental laws and norms.

The draft rules state that every lessee and contractor shall submit a monitoring plan within 180 days of the commencement of production of mineral oil from the leased area for the identification of sources of greenhouse emissions from mineral oil operations, and the methodology and frequency of measurements.

The lessee and contractor will also have to review and

update the monitoring plan submitted from time to time as may be necessary.

Every lessee and contractor will also submit to the government reports of their greenhouse gas emissions in the manner as may be specified by the government from time to time.

The new draft also provides for clear steps in the authorisation for greenhouse gas (GHG) sequestration, injection and storage permit.

Any lessee or contractor intending to assess the feasibility of geological storage of greenhouse gases (GHGs) within a leased or contract area shall, prior to commencement of any such activity, obtain an authorisation for such assessment from the Government.

Upon completion of such assessment, a lessee or contractor may submit an application for the issuance of an injection of GHGs permit to the government, in the format as may be prescribed from time to time.

The term of the injection permit, in the first instance, shall be two years, which may be renewed thereafter upon satisfactory performance and compliance with these rules and the terms as prescribed by the Government of India in this regard from time to time.

BUSINESS LINE, Delhi, 12.5.2025
Page No. 10, Size:(12.71)cms X (10.64)cms.

How India-Pak tension can impact energy sector

Richa Mishra
Hyderabad

Any geo-political tension has an impact on the energy market and so is the case with the recent India-Pakistan conflict. Though not immediate, the impact is inevitable, as the developments raise serious concerns about the movement and supply of crude oil and gas given that both countries depend on imports.

"While the tensions have wide-ranging and serious humanitarian implications for the region, it also brings to the forefront the importance of emergency preparedness in the energy sector, as a prolonged conflict would severely impact the ability of both countries to meet their energy needs," according to Rystad Energy's (an independent energy research company) market update report.

"While India primarily imports crude oil by sea from the Middle East, regional tensions can disrupt key maritime routes. Increased shipping risks and higher freight charges may lead to supply chain disturbances. Additionally, crude oil prices are highly sensitive to geopolitical instability," Umud Shokri, energy strategist and senior visiting fellow at George Mason University, said.

PRICE VOLATILITY

Speaking to *businessline*, Shokri said, "Any sustained conflict or threat thereof could trigger price spikes. Considering India imports about 85 per cent of its crude oil, a $10 per barrel increase can widen the current account deficit by roughly 0.5 per cent of GDP, affecting broader economic indicators."

Complicating the picture for India is the current tension with Saudi Arabia over crude supply terms and joint refinery projects.

"Saudi Arabia supplies 750,000-850,000 barrels per day to India, making it a critical energy partner. Disagreements over pricing and investment commitments — such as the stalled Ratnagiri refinery project — could jeopardise India's long-term energy security and diversification efforts," he said.

According to Rohan Goindi, Senior Analyst, Commodities Markets – Oil, Rystad Energy, "In terms of daily crude demand, India consumes 5.4 million barrels per day (bpd), compared to Pakistan's 0.25 million bpd. However, the discrepancy goes beyond just demand."

As tensions escalate, both countries are expected to increase crude procurement and refinery activity. "India's strategic and commercial reserves can sustain supply for over a month, while Pakistan, which lacks any strategic reserves, has only 20 days' stock."

RESERVE COVERAGE

"India has a reserve coverage of approximately seven days, based on its existing strategic reserves, and its commercial stockpiles of close to 160 million barrels (with the refiners) can sustain the country for around 33 days, whereas Pakistan's stockpiles will last for 20 days," he explained.

India's crude oil stockpile obligations are managed through a combination of government-owned strategic reserves and company-owned commercial reserves (with no fixed legal requirement). Pakistan has a clear regulatory requirement of a 20-day stockpile of refined products, mandated by its Oil and Gas Regulatory Authority.

"As the third-largest global crude importer, 85 per cent of India's demand is being met through imports. Pakistan, too, relies heavily on imports, meeting around 78 per cent of its demand," Goindi said.

On the petroleum product front, "Diesel demand is likely to rise amid increased military mobilisation, while airline fuel consumption declines on airspace closures," Goindi said.

"Diesel exports could decline, but domestic supply is expected to remain stable as this development will allow refineries to shift production from jet fuel to diesel," he said.

INDIAN EXPRESS, Delhi, 12.5.2025
Page No. 11, Size:(7.14)cms X (13.67)cms.

Oil, gas: Govt to hold pre-emption right in emergency

New Delhi: The government will hold pre-emption rights over all oil and natural gas produced in the country in any event of national emergency, according to draft rules being framed under oilfields legislation. A pre-emption right (or preemptive right) is the legal right of a party — often a government or existing shareholder — to purchase or claim a product, asset, or resource before it is offered to others. **PTI**

MILLENNIUM POST, Delhi, 12.5.2025
Page No. 9, Size:(15.43)cms X (9.15)cms.

Saudi Aramco Jaunuary-March qtr profit falls 4.6% to $26 billion

DUBAI: Saudi Arabia's state-owned oil giant Aramco posted first-quarter (Jan-March, 2025) profits of $26 billion on Sunday, down 4.6 per cent from the previous year.

Aramco, formally known as the Saudi Arabian Oil Co, had revenues of $108.1 billion over the quarter, the company reported in a filing on Riyadh's Tadawul stock exchange.

The company saw $107.2 billion in revenues and profits of $27.2 billion the same quarter last year. Aramco's stock traded over $6 a share Thursday, down from a high of around $8 last year.

It has dropped over the past year as oil prices have dipped, and in recent months, as the OPEC+ oil cartel announced restoring production more rapidly and as uncertainty driven by the tariffs introduced by the United States has rippled through Middle Eastern markets. AGENCIES

FREE PRESS JOURNAL, Mumbai, 12.5.2025
Page No. 9, Size:(7.71)cms X (20.03)cms.

Saudi Aramco's profits fall 4.6% to $26 billion

Saudi Arabia's state-owned oil giant Aramco posted first-quarter profits of $26 billion on Sunday, down 4.6% from the prior year. Aramco, formally known as the Saudi Arabian Oil Co, had revenues of $108.1 billion over the quarter, the company said in a filing on Riyadh's Tadawul stock exchange. The company saw $107.2 billion in revenues and profits of $27.2 billion the same quarter last year. Aramco's stock traded over $6 a share Thursday, down from a high of around $8 last year. Benchmark Brent crude traded Friday at over $63 a barrel, down from highs of over $80 in the last year.

PUNJAB KESARI, Delhi, 12.5.2025
Page No. 8, Size:(15.36)cms X (23.76)cms.

अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर में गैस उत्सर्जन की जांच के नियम होंग सख्त

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी)। केंद्र सरकार अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर में गैस उत्सर्जन की जांच के लिए नियम को सख्त करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ड्राफ्ट पॉलिसी भी तैयार कर ली गई है।

अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और उत्पादन क्षेत्र के लिए तैयार की गई केंद्र की नई ड्राफ्ट पॉलिसी का उद्देश्य गैस फ्लेयरिंग गतिविधियों सहित खनिज तेल संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और फ्लेयर्ड गैस की करीब से निगरानी करना है।

तेल क्षेत्रों से उत्पादन के दौरान गैस का नियमित रूप से प्रज्वलन होता रहता है, क्योंकि उत्पादन क्षेत्रों में गैस के उपयोग के लिए फैलिसिटीज जैसे रिइंजेक्शन, ऑन-साइट उपयोग, बाजार तक परिवहन आदि की कमी होती है। ड्राफ्ट पॉलिसी में यह प्रावधान है कि सभी पट्टेधारक और ठेकेदारों को प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर निश्चित फॉर्मेट के अनुसार तिमाही आधार पर प्रज्वलित गैस की मात्रा और उससे संबंधित उत्सर्जन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि हर पट्टेदार और ठेकेदार खनिज तेल उत्पादक परिचालन के दौरान होने वाली ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के उपाय अपनाएगा और लागू पर्यावरण कानूनों और मानदंडों का अनुपालन करेगा। ड्राफ्ट नियमों में कहा गया है कि प्रत्येक पट्टेदार और ठेकेदार को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से खनिज तेल का उत्पादन शुरू होने के 180 दिनों के भीतर खनिज तेल परिचालन से ग्रीनहाउस उत्सर्जन के स्रोतों की पहचान और मापने से विधि के लिए एक निगरानी प्लान प्रस्तुत करना होगा। ड्राफ्ट नियमों में आगे कहा गया कि पट्टेदार या ठेकेदार भारत सरकार को एक पर्यावरण प्रबंधन योजना और आपदा योजना प्रस्तुत करेगा, जिसमें भूजल दूषित होने और वायुमंडलीय उत्सर्जन सहित पर्यावरण के लिए जोखिम को कम करने के उपायों की रूपरेखा होगी।

JANSATTA, Delhi, 12.5.2025
Page No. 10, Size:(9.92)cms X (7.46)cms.

आपात स्थिति में केंद्र का तेल, प्राकृतिक गैस पर पूर्व-अधिकार

नई दिल्ली, 11 मई (भाषा)।

तेल क्षेत्र कानून (संशोधित) के तहत तैयार किए जा रहे नियमों के मसविदा में राष्ट्रीय आपात स्थिति में देश में उत्पादित सभी तेल और प्राकृतिक गैस पर सरकार का पूर्व-अधिकार होगा। पूर्व-अधिकार किसी पक्ष-अक्सर सरकार या मौजूदा शेयरधारक का कानूनी अधिकार है कि वह किसी उत्पाद, परिसंपत्ति या संसाधन को दूसरों को पेश किए जाने से पहले उसकी खरीद या उस पर दावा कर सकता है।

भूमिगत या समुद्र तल के नीचे से निकाले गए और पेट्रोल व डीजल जैसे ईंधन में बदले गए कच्चे तेल के साथ ही प्राकृतिक गैस (जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, वाहन के लिए सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस के लिए किया जाता है) पर इस तरह के अधिकार का मकसद सरकार को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और आपात स्थिति के दौरान सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने में मदद करना है। नियमों के मसौदे में कहा गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादकों को पूर्व-अधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य का भुगतान किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में संसद द्वारा तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक पारित किए जाने के बाद नियमों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। यह विधेयक पुराने 1948 के कानून का स्थान लेगा। इस उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और देश के ऊर्जा बदलाव लक्ष्य में समर्थन करना है। ये नियम कहते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों या खनिज तेल के संबंध में राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारत सरकार का हर समय पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से निकाले गए कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस, परिष्कृत पेट्रोलियम या पेट्रोलियम पर पूर्व-अधिकार होगा। इस अधिकार का इस्तेमाल भारत सरकार द्वारा पट्टेदार को उस समय की प्रचलित दर पर भुगतान कर किया जाएगा।

कच्चे तेल के साथ ही प्राकृतिक गैस (जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, वाहन के लिए सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस के लिए किया जाता है) पर इस तरह के अधिकार का मकसद सरकार को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और आपात स्थिति के दौरान सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने में मदद करना है।

HINDUSTAN, Delhi, 12.5.2025
Page No. 11, Size:(8.94)cms X (6.88)cms.

आपात स्थिति में निजी कंपनी के तेल, गैस पर सरकार का पहला हक होगा

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर देश किसी आपातकालीन स्थिति से गुजर रहा हो और ऊर्जा संसाधनों की कमी हो तो सरकार अब निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर पहला दावा कर सकेगी। यानी इन पर सरकार का पूर्व-अधिकार होगा।

केंद्र सरकार ने संशोधित तेल क्षेत्र कानून के तहत तैयार किए जा रहे नियमों के मसौदा जारी किया है। इसमें पहले खरीदने का कानूनी अधिकार शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि निजी या विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित तेल या गैस की अगर सरकार को तत्काल आवश्यक लगी तो वह उसे बाजार में जाने से पहले खुद हासिल कर सकेगी। हालांकि, इसके बदले में कंपनियों को उस समय की उचित बाजार कीमत चुकाई जाएगी। मसौदे में कहा गया है कि 'राष्ट्रीय आपातकाल' में युद्ध, प्राकृतिक आपदा या सैन्य तनातनी जैसी स्थिति को इसमें शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होगा, इसका निर्धारण केवल केंद्र सरकार करेगी।

नए विधेयक से बड़ा बदलाव होगा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में संसद द्वारा तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक पारित किए जाने के बाद नियमों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। यह विधेयक पुराने 1948 के कानून का स्थान लेगा। इस उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और देश के ऊर्जा बदलाव लक्ष्य में समर्थन करना है। ड्राफ्ट नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी ऐसी स्थिति का सामना करती है जो उसके नियंत्रण से बाहर है-जैसे भूकंप, महामारी, युद्ध, दंगा या तूफान, तो उस पर एक्ट के तहत लागू दायित्वों से अस्थायी छूट मिल सकती है।

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 12.5.2025
Page No. 2, Size:(12.55)cms X (10.61)cms.

एनसीआर में 'बूढ़े' वाहनों को एक अप्रैल, 2026 से नहीं मिलेगा ईंधन

उम्र पूरी करने वाले वाहनों का परिचालन रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कसी कमर

संजीव गुप्ता ● जागरण

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 19 जिलों में उम्र पूरी करने वाले वाहनों को एक अप्रैल 2026 से ईंधन नहीं मिलेगा। वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के मकसद से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। दिल्ली और पांच जिलों में यह प्रतिबंध इसी साल लागू होगा। सीएक्यूएम की ओर से एनसीआर में शामिल राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को इस आशय के लिखित आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।

गौरतलब है कि विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक, दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत या इससे अधिक भी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, आम वाहनों की तुलना में समयावधि पूरा कर चुके वाहनों से और ज्यादा प्रदूषण होता है। इसीलिए उम्र पूरी कर चुके वाहनों के संचालन पर रोकथाम जरूरी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एनसीआर में डीजल वाहनों के लिए उम्र पूरी के लिए 10 साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल की समयावधि निर्धारित की गई है। ऐसे वाहनों पर रोक सुनिश्चित करने के लिए सीएक्यूएम ने दिल्ली के लिए इन्हें ईंधन न देने की तिथि एक जुलाई और गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद के लिए एक नवंबर तय की है। उक्त तारीखों से पहले इन सभी शहरों के पेट्रोल पंपों पर आटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) कैमरे लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

एनसीआर में शामिल उक्त पांच जिलों के अतिरिक्त अन्य हरियाणा के 11, उत्तर प्रदेश के छह व राजस्थान के दो जिलों में भी यही व्यवस्था लागू होनी है, लेकिन इन जिलों के पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने की समयावधि 31 मार्च, 2026 रखी गई है।

देश के दस सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली व गुरुग्राम भी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

प्रदूषण कम करने के लिए हो रहे प्रयास। फाइल

तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण अभी तय मानकों से काफी अधिक है। अप्रैल में भी राजधानी प्रदूषण के मामले में देशभर में पांचवें स्थान पर रही। इस महीने में यहां पीएम 2.5 का औसत स्तर 19 दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से अधिक है। 80 प्रतिशत दिन प्रदूषण सामान्य स्तर पर रहा। यह जानकारी सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की अप्रैल माह की प्रदूषण विश्लेषण रिपोर्ट में सामने आई है।

देश के 273 शहरों में से 248 यानी 90 प्रतिशत में प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) मानकों से अधिक है। 248 शहरों में से 227 में पीएम 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानकों पर खरा रहा, जबकि केवल सात शहरों में यह डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुसार था। राष्ट्रीय मानक में पीएम 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और डब्ल्यूएचओ मानकों में यह 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक तय है। बर्नीहाट (असम/मेघालय) बार्डर अप्रैल में सबसे अधिक प्रदूषित रहा, जहां औसत पीएम 2.5 का स्तर 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। दिल्ली में औसत पीएम 2.5 का स्तर 77 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। दस सबसे प्रदूषित शहरों में सिवान, राजगीर, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हाजीपुर, बागपत, औरंगाबाद और सासाराम शामिल हैं। इनमें बिहार के पांच, उप्र के दो और असम, हरियाणा का एक-एक शहर व दिल्ली शामिल है।

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 12.5.2025
Page No. 13, Size:(18.22)cms X (17.25)cms.

राष्ट्रीय आपात स्थिति में देश में उत्पादित तेल पर सरकार का होगा पूर्व-अधिकार

नई दिल्ली (भाषा)। संशोधित तेल क्षेत्र कानून के तहत तैयार किए जा रहे नियमों के मसौदे में राष्ट्रीय आपात स्थिति में देश में उत्पादित सभी तेल और प्राकृतिक गैस पर सरकार का पूर्व-अधिकार होगा। पूर्व-अधिकार किसी पक्ष-अक्सर सरकार या मौजूदा शेयरधारक-का कानूनी अधिकार है कि वह किसी उत्पाद, परिसंपत्ति या संसाधन को दूसरों को पेश किए जाने से पहले उसकी खरीद या उसपर दावा कर सकता है। भूमिगत या समुद्र तल के नीचे से निकाले गए और पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदले गए कच्चे तेल के साथ ही प्राकृतिक गैस (जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, वाहन के लिए सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस के लिए किया जाता है) पर इस तरह के अधिकार का मकसद सरकार को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और आपात स्थिति में सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने में मदद करना है।

नियमों के मसौदे में कहा गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादकों को 'पूर्व-अधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य' का भुगतान किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में संसद द्वारा तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक पारित किए जाने के बाद नियमों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की है। यह विधेयक पुराने 1948 के कानून का स्थान लेगा। इस उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और देश के ऊर्जा बदलाव लक्ष्य में समर्थन करना है। ये नियम कहते है, 'पेट्रोलियम उत्पादों या खनिज तेल के संबंध में राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारत सरकार का हर समय पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से निकाले गए कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस, परिष्कृत पेट्रोलियम या पेट्रोलियम पर पूर्व-अधिकार होगा। इस अधिकार का इस्तेमाल भारत सरकार द्वारा पट्टेदार को उस समय की प्रचलित दर पर भुगतान कर किया जाएगा। हालांकि, नियमों में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति क्या होगा।

VEER ARJUN, Delhi, 12.5.2025
Page No. 11, Size:(6.30)cms X (9.84)cms.

राष्ट्रीय आपात स्थिति में सरकार का देश में उत्पादित तेल, प्राकृतिक गैस पर पूर्व-अधिकार होगा

नई दिल्ली, (भाषा)। संशोधित तेल क्षेत्र कानून के तहत तैयार किए जा रहे नियमों के मसौदे में राष्ट्रीय आपात स्थिति में देश में उत्पादित सभी तेल और प्राकृतिक गैस पर सरकार का पूर्व-अधिकार होगा। पूर्व-अधिकार किसी पक्ष-अक्सर सरकार या मौजूदा शेयरधारक-का कानूनी अधिकार है कि वह किसी उत्पाद, परिसंपत्ति या संसाधन को दूसरों को पेश किए जाने से पहले उसकी खरीद या उसपर दावा कर सकता है।

भूमिगत या समुद्र तल के नीचे से निकाले गए और पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदले गए कच्चे तेल के साथ ही प्राकृतिक गैस (जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, वाहन के लिए सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस के लिए किया जाता है) पर इस तरह के अधिकार का मकसद सरकार को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और आपात स्थिति के दौरान सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने में मदद करना है। नियमों के मसौदे में कहा गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादकों को पूर्व-अधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में संसद द्वारा तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक पारित किए जाने के बाद नियमों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। यह विधेयक पुराने 1948 के कानून का स्थान लेगा। इस उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और देश के ऊर्जा बदलाव लक्ष्य में समर्थन करना है।

ये नियम कहते है, पेट्रोलियम उत्पादों या खनिज तेल के संबंध में राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारत सरकार का हर समय पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से निकाले गए कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस, परिष्कृत पेट्रोलियम या पेट्रोलियम पर पूर्व-अधिकार होगा।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 12.5.2025
Page No. 9, Size:(2.54)cms X (9.11)cms.

राष्ट्रीय आपातकाल में तेल-गैस पर सरकार का अग्रिम-अधिकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में देश में उत्पादित सभी तेल और प्राकृतिक गैस पर सरकार का अग्रिम-अधिकार होगा। तेल क्षेत्र के लिए बनाए जा रहे नए मसौदा नियमों में इसका प्रविधान किया गया है। अग्रिम-अधिकार का अर्थ है कि किसी पार्टी (अक्सर सरकार या मौजूदा शेयरधारक) के पास किसी उत्पाद, संपत्ति या संसाधन को दूसरों को पेश किए जाने से पहले खरीदने या दावा करने का कानूनी अधिकार होता है।

मसौदा नियमों में कहा गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादक को अग्रिम-अधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य का भुगतान किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मसौदा नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस वर्ष की शुरुआत में संसद ने तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक पारित किया, जिसने 1948 के अधिनियम के पुराने प्रावधानों को बदल दिया। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है।

AMAR UJALA, Delhi, 12.5.2025
Page No. 7, Size:(5.05)cms X (3.31)cms.

शेल, रिलायंस व ओएनजीसी ने स्थापित किया मानक

नई दिल्ली। पन्ना-मुक्ता और ताप्ती (पीएमटी) संयुक्त उद्यम साझेदार शेल (बीजीईपीआईएल के माध्यम से), रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्र की सुविधाओं को सुरक्षित रूप से हटाने के साथ देश की पहली अपतटीय सुविधाओं को बंद करने की परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पीएमटी संयुक्त उद्यम ताप्ती क्षेत्रों का संचालक है, जिसमें 40 फीसदी भागीदारी हित के साथ ओएनजीसी और 30 फीसदी भागीदारी के साथ आरआईएल और बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड (बीजीईपीआईएल-शेल) शामिल हैं। इस परियोजना में पांच वेलहेड प्लेटफॉर्म, संबंधित इनफील्ड पाइपलाइनों को हटाना, ऑनशोर डिसमेंटलिंग यार्ड में लोड-इन और 38 कुओं को सुरक्षित रूप से बंद करना और छोड़ना शामिल था। सभी को स्वीकृत डीकमीशनिंग योजना के अनुरूप निष्पादित किया गया। ब्यूरो

DAINIK SAVERA, Delhi, 12.5.2025
Page No. 10, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पानी नहीं, मूत्र का होगा उपयोग

ये प्रणालियां पारंपरिक तरीकों के लिए सस्ता और अधिक संधारणीय विकल्प प्रदान करती हैं

सवेरा न्यूज/एजेंसी

कैनबरा, 11 मई : ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्त्ताओं ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए मूत्र और अपशिष्ट जल से चलने वाली प्रणालियां विकसित की है। एडिलेड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने संधारणीय-पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा पर अपने नवीनतम अध्ययनों में दो अभिनव ऊर्जा-कुशल प्रणालियां विकसित की हैं जो मानव मूत्र और अपशिष्ट जल से यूरिया का उपयोग करके सस्ती हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करती हैं।

विश्वविद्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ये प्रणालियां स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक तरीकों के लिए एक सस्ता और अधिक संधारणीय विकल्प प्रदान करती हैं जबकि अपशिष्ट को एक मूल्यवान ऊर्जा संसाधन में बदल देती हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाइड्रोजन आमतौर पर इलैक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी को विभाजित करके उत्पन्न किया जाता है जो एक महंगी और ऊर्जा-गहन प्रक्रिया है एवं जीवाश्म ईंधन से हाइड्रोजन निकालना सस्ता है लेकिन इससे उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है।

ऑस्ट्रेलियाई अनुसंधान परिषद कार्बन विज्ञान और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई-सीएसआई) के मुख्य अन्वेषक झेंग याओ ने कहा कि इसके विपरीत यूरिया का उपयोग करने में विशेष रूप से मूत्र से 20 से 27 प्रतिशत कम बिजली की आवश्यकता होती है और पारंपरिक तरीकों के पर्यावरणीय प्रभाव से बचा जाता है।

शोधकर्ताओं की पहली प्रणाली शुद्ध यूरिया से हाइड्रोजन निकालने के लिए झिल्ली रहित सेटअप में एक नए तांबे-आधारित उत्प्रेरक का उपयोग करती है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूसरी प्रणाली मूत्र को आसानी से उपलब्ध और पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग करके इसे एक कदम आगे ले जाती है। यह मूत्र में क्लोराइड आयनों से निपटने के लिए प्लैटिनम-आधारित उत्प्रेरक के साथ क्लोरीन-मध्यस्थ ऑक्सीकरण तंत्र का उपयोग करता है, जो इलैक्ट्रोलिसिस प्रणाली को खराब कर सकता है। सीओई-सीएसआई के उप निदेशक और मुख्य अन्वेषक किआओ शिजांग ने कहा दोनों प्रणालियां मौजूदा यूरिया-आधारित दृष्टिकोणों की एक बड़ी खामी को संबोधित करती हैं। वे विषाक्त नाइट्रेट और नाइट्राइट का उत्पादन करने से बचते हैं, इसके बजाय हानिरहित नाइट्रोजन गैस छोड़ते हैं।

एडिलेड विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कैमिकल इंजीनियरिंग से झेंग और किआओ के नेतृत्व में टीम का लक्ष्य अब लागत को कम करने और टिकाऊ हाइड्रोजन उत्पादन का समर्थन करने के लिए महंगे प्लैटिनम को गैर-कीमती, कार्बन-समर्थित धातु उत्प्रेरक से बदलना है।